देवनानी ने अल्पसंख्यक छात्रावास का विरोध किया, आंदोलन की चेतावनी

अजमेर, (कासं)। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर में अल्पसंख्यक छात्रावास का विरोध किया है। उन्होंने अजमेर जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर में छात्रावास खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन किसी और स्थान पर छात्रावास खोले। पूर्व में भी यहां छात्रावास खोलने के प्रस्ताव का विरोध कर इसे स्थगित करवाया गया था। अब प्रशासन पुन: प्रयास कर रहा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हरीभाऊ उपाध्याय नगर में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रावास खोले जाने के प्रयास के विरोध में विधायक देवनानी ने बुधवार को एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा से मुलाकात की। उन्होंने जिला कलैक्टर अंशदीप को भी फोन कर नाराजगी जताई। देवनानी ने जिला कलेक्टर एवं आयुक्त,अजमेर विकास प्राधिकरण को ज्ञापन देकर हरिभाउ उपाध्याय नगर मुख्य सी-ब्लॉक के आवासीय क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु आवंटित भूमि को निरस्त कर पूर्व के निणन्य को यथावत रखते हुए पट्टा जारी नहीं किए जाने का आग्रह किया है

- एडीए आयुक्त से की मुलाकात, कलेक्टर को फोन कर नाराजगी जताई

देवनानी ने आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण से मुलाकात कर सौंपे ज्ञापन में कहा कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य सी ब्लॉक में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण करने हेतु भूमि आंवटन करने की कार्यवाही की जा रही है । यह प्रयास सत्र 2014 में भी किया गया था । मैनें पूर्व में भी यह मुद्धा उठाया गया था । फलस्वरूप अल्पसंख्यक छात्रावास भूमि आवंटन को निरस्त किया गया जिसका उलेख अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यालय की नोटशीट पर उपलब्ध है।

देवनानी ने कहा कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य सी ब्लॉक में छात्रावास हेतु आवंटित भूमि को निरस्त करने तथा वैकल्पिक जमीन आवंटन करने का निर्णय 15 जनवरी 2014 को सक्षम स्तर से लिया गया था। इसके उपरान्त भी 8 वर्ष बाद पुन: अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन निरस्तीकरण के निणन्य के विपरित भूमि आवंटन की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है जबकि न्यास मानचित्र के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र पूर्णतया आवासीय के लिए सुरक्षित किया गया है।

देवनानी ने कहा कि सी ब्लॉक एवं हरिभाऊ नगर विस्तार योजना में अधिकांश मकानों का निर्माण हो चुका है तथा विवादित स्थल के भी चारों ओर आवासीय मकानों का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आबादी के बीचो-बीच छात्रावास का निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी होगी। वर्तमान में क्षेत्रवासी ऊची कीमतों पर प्लाट खरीद कर आवास का निर्माण कर चुके हैं। देवनानी ने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण के पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अन्यत्र स्थान पर छात्रावास के लिए भूमि का आवंटन किया जाए अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।

राज. शूटिंग बाल गर्ल्स टीम ने दिल्ली टीम को हराया

मदनगंज-किशनगढ, (निसं)। नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल टूर्नामेंट मे राजस्थान की गर्ल्स टीम ने दिल्ली टीम को सीधे सेटों में हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

बोधगया बिहार से किशनगढ पहुंचने पर विजेता टीम का सुभाष क्लब ग्राउंड में स्वागत किया गया। इस दौरान शूटिंग बॉल संघ संरक्षक कैलाश अंकल, सुभाष क्लब सचिव अशोक अगरवाल, कोषाध्यक्ष गोपाल यादव, वरिष्ठ खिलाडी रशीद, पप्पू ठेकेदार, भागचंद लखन, सुखपाल चौधरी, मजीद, शाहरुख, इमरान, शेरू, मोहम्मद शम्मी, अजीज मोहम्मद, शबाना खान, सृष्टि जोरम, पिंकी नागालिया, मुस्कान कांठेड, ज्योति राव, निकिता नरूका, प्रेरणा राठौड, पूजा खंगारोत, पार्षद घन्नालाल यादव, अजीज मोहम्मद, एडवोकेट मोहम्मद याकूब आदि खिलाडी मौजूद रहे।

राजस्थान टीम को तीसरी रैंक मिलने पर प्रदेश सचिव डॉ. ओपी माचरा, उपाध्यक्ष इंदुराज शर्मा, प्रवक्ता भूपेंद्र त्यागी, जिलाध्यक्ष शक्की मोहम्मद ने हर्ष व्यक्त किया। राजस्थान बॉयज टीम मे शामिल किशनगढ के दो बालकों ने भी सेकंड पोजीशन हासिल कर सुभाष क्लब का नाम रोशन किया।

सूचना केंद्र बचाओ संघर्ष समिति को अनेक संगठनों का समर्थन

अजमेर, (कासं)। सूचना केन्द्र में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कराये गये कार्यों एंव अनेक उपयोगी भवनों को ध्वस्त करने के विरोध में चलाये जा रहे आंदोलन को अनेक संगठनों ने समर्थन देकर हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है।

संयोजक करण सिंह ने बताया कि अनेक सामाजिक, कर्मचारी संगठनों सहित अनेक पत्रकारों ने जिनका वर्षो से सूचना केन्द्र से सीधा जुडाव है वे सभी इस आंदोलन को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दे रहे है। मुख्य रूप से शहर के वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र चौहान, महावीर सिंह चौहान, रतनलाल बाकोलिया, नवीन शर्मा सहित प्रगतिशील राजपूत समाज, अखिल भारतीय कायस्थ समाज, हिन्द सेवा दल, श्री नारायणी ग्रामीण सेन समाज, आधुनिक नाट्य कला संस्थान, सेवानिवृत राज्य कर्मचारी संयुक्त समिति, सहायक कर्मचारी संघ, कलाकार संघ, रावत समाज सहित सेवानिवृत सूचना एंव जनसम्पर्क अधिकारी मोहन सिंह टॉक ने भी समर्थन देते हुए अनाधिकृत निर्माण कायी की जॉच की मांग की है। उन्होने आशंका जताइ कि कुछ प्रभागशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर सूचना केन्द्र में अनाधिकृत निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

उपसंयोजक मदन सिंह पंवार, राजेन्द्र प्रसाद माथुर, एंव रामसिंह रावत ने बताया की आंदोलन के दौरान जिला कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री, प्रदेश के आला अधिकारियों स्थानीय जनप्रतिनीधियों को भी ज्ञापन की प्रति भेजकर सूचना केन्द्र के स्वामित्व, पहचान एंव गरिमा को बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच में सहयोग करने का अनुरोध किया है। सिंह ने बताया कि यदि परिसर में अन्य किसी भी विभाग के कार्यालय का निमार्ण एंव संचालन किया जाता है तो संगठन कारगर ढंग से अपना विरोध व्यक्त करेंगे। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की जॉच नही की जाती है तो संगठन द्वारा आगामी माह में आंदोलन को और तेज किया जायेगा।

- परिसर में अन्य विभाग का संचालन हुआ तो होगा आंदोलन
- आंदोलन को अनेक संगठनों ने समर्थन देकर हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया

न्यायालय अपर जिला जज, सं0 1 ब्यावर
उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022
श्रीमति सपना शर्मा व अन्य बनाम आमजन

प्रार्थीगण श्रीमति सपना शर्मा व सुश्री प्रज्ञा शर्मा व श्री प्रत्युश शर्मा निवासी बोहरा कॉलोनी ब्यावर द्वारा स्व. श्री पवन शर्मा के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक के यहाँ जमा रकम के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् कोई आपत्ति हो व/या अन्य कोई व्यक्ति इस संबंध में हक अधिकार रखता हो। इस न्यायालय के समक्ष 13-9-22 दिनांक को प्रात: 10 बजे स्वयं व/या अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त दिनांक तक आपत्ति नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह आज दिनांक 31.08.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया है।

आज्ञा द्वारा
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, ब्यावर (जिला अजमेर)

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर
राजस्व वाद संख्या 96 सन् 2017
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 78 सन् 2017
श्री कंवरसिंह व अन्य बनाम श्री तिलोकसिंह व अन्य

प्रेषिती
श्री भूपेन्दसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी- ग्राम नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)।

वादी/प्रार्थी ने आपके विरूद्ध राजस्व ग्राम सिंघाडिया, पटवार क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर के खसरा नम्बर 161 के संबंध में घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु वाद व प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2022 को प्रात: 10 बजे वाद व प्रार्थनापत्र का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद/प्रार्थना पत्र से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसी सभी दस्तावेज, जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
यह आज दिनांक 22/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया है।
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

'स्वस्थ्य शरीर के लिए शुद्ध हवा जरूरी'

अजमेर, (कासं)। लायंस कूब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा अंतरराष्ट्रीय शुद्ध वायु दिवस पर बुधवार को वैशालीनगर स्थित वीर उद्यान में 'स्वच्छ हवा सबके लिए' कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कूब अध्यक्ष लायन गजेंद्र पंचोली ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन आभा गांधी एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ भरत छबलानी थे। इस अवसर पर डॉ छबलानी ने कहा कि शुद्ध हवा स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम संयोजक लायंस मार्केटिंग के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेन्द्र गांधी ने बताया कि इस अवसर पर पौधारोपण एवम पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना पर आमजन को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉ अशोक मित्तल, डॉ श्याम भूतड़ा, डॉ सत्येन्द्र भार्गव, डॉ एसएन मंत्री, डॉ माया छबलानी, योग चिकित्सक डॉ दौलतराम थडानी, जे एम बछावत, वेद प्रकाश, प्रेमवती, लायन राजेन्द्र गांधी, सुनीता एवं क्षेत्रवासी सहित अन्य उपस्थित थे।

लायंस क्लब क्लासिक लंपी ग्रसित गोवंश के लिए नि:शुल्क दवा बांटेगा

लायंस क्लब बिजयनगर क्लासिक के पदाधिकारियों ने गोवंश के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की।

बिजयनगर, (निसं)। लायंस क्लब क्लासिक बिजयनगर के तत्वावधान में सामाजिक सरोकार से जुड़े सेवा कार्यो के साथ-साथ जीव दया के भाव को प्राथमिकता देते हुए गोवंश में फैल रही लंपी वायरस की रोकथाम के लिए क्लब द्वारा 75 हजार रूपये की दवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करने का लक्ष्य रखा गया।

लायंस क्लासिक के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप तोषनीवाल का मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा को साकार करने के उद्देश्य के तहत लायंस क्लब क्लासिक द्वारा गोवंश में फैल रहे लंपी स्कीन वायरस की रोकथाम तथा गोवंश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास के लिए संकल्पित है। इस मौके पर कूब अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने बताया कि गोवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए जन जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंपलेट वितरित किए गए हैं।

रोग ग्रस्त गोवंश को अलग बाड़ा बनाकर आइसोलेट करने, स्वस्थ गोवंश को अलग रखने के साथ-साथ चिकित्सकों की सहायता से उपचार करवाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। लायंस कूब बिजयनगर क्लास के अध्यक्ष आशीष सांड, लायंस कूब, सम्भागिय अध्यक्ष लॉयन दीपक माहेश्वरी, कूब सचीव ज्ञानचन्द प्रजापत, संजय महावार, अभिषेक बड़जात्या, कूब कोषाध्यक्ष सौरभ नागोरी, लॉयन अभिषेक राका लॉयन सौरभ भंडारी, लॉयन अरिहंत लोढा, लायन लोकेश रांका लॉयन राहुल बाबेल सहित सदस्य पदाधिकारी सेवा की इस मुहिम में शामिल हुए।

एमएसएमई बस यात्रियों का स्वागत

मदनगंज-किशनगढ, (निसं)। देश में एमएसएमई को विकसित करने के उद्देश्य से आईसीएआई एमएसएमई सेतु यात्रा किशनगढ पहुंची। एवरसाइन मार्बल पर स्वागत बस यात्रियों का स्वागत किया गया। एसबीआई बैंक ने मकराना रोड पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। रैली मकराना चौराहा होते हुए टाक पेट्रोल पंप से पहाडिया चौराहा होकर क्रिस्टल पार्क के पीछे स्थित सीए शाखा पहुंची। शाखा अध्यक्ष सीए मोहित जैन ने बताया कि लघु उद्योग मंत्रालय के सहयोग से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से 18 अगस्त से शुरू यात्रा देश के 22 राज्यों से होते हुए 14 हजार किलोमीटर का सफर तय करेगी। कार्यक्रम में निशुल्क उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई की जिला सब्सिडी स्कीम और ब्याज में छूट संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान लघु भारती अध्यक्ष दीपक शर्मा, मुकेश अगरवाल, शशि कुमार, सुदीप्ता सहित सीए मालचंद गर्ग, प्रवीण जैन, आशीष गुप्ता, मुकुल गर्ग, जुगल राठी, अमित अगरवाल, अनिरुद्ध बियानी, राधिका अजमेरा, राजीव इनानी, साकेत कालानी एवं अन्य सीए सदस्य मौजूद रहे। संचालन सिकासा अध्यक्ष सीए अखिलेश शर्मा ने किया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ओसवाल एंटरप्राइजेज, पता प्लाट नं. 24, पवन स्टोन होम प्राइवेट लिमिटेड के सामने, हरमाड़ा रोड, किशनगढ़ , जिला अजमेर (राज.) 305801 जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यह जरिये रजिस्ट्रेशन नंबर RF/AJM/2021/240 दिनांक 21/01/2021 से पंजीकृत है , यह फर्म साझेदारी विलेख दिनांक 02/01/2021 से संचालित है। यह फर्म साझेदारी विलेख द्वारा दो साझेदारो के द्वारा संचालित थी जिनका लाभ व हानि का हिस्सा निम्नुसार था:-
1. रजत मेहता (हिस्सा 50 प्रतिशत) 2. मुकेश चौधरी (हिस्सा 50 प्रतिशत)
अत: दिनांक 01/07/2022 को निष्पादित प्रवेश साझेदारी विलेख अनुसार फर्म में एक साझेदार प्रवेश किया है जो केतन चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी जो तीसरा साझेदार है। अत: इस साझेदारी प्रवेश विलेख द्वारा उपरोक्त फर्म में वर्तमान साझेदारों का लाभ व हानि निम्नुसार हो गया है:-
1. रजत मेहता (हिस्सा 50 प्रतिशत) 2. मुकेश चौधरी (हिस्सा 10 प्रतिशत) 3. केतन चौधरी (हिस्सा 40 प्रतिशत) अत: इस सम्बन्ध में यदि किसी आम व खास को कोई आपति व ऐतराज हो तो इस सुचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में अपना ऐतराज फर्म के पते पर प्रस्तुत करे व 7 दिवस गुजरने के बाद सूचना पर कोई ऐतराज मान्य नहीं होगा।
मैसर्स ओसवाल एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर

विवाहिता का कुएं में शव मिला

डूंगरपुर, (निसं)। वरदा थाना क्षेत्र में सोमवार रात को पति-पत्नी में कहासुनी के बाद घर छोडकर गई पत्नी का शव कुएं में मिला है। पति से झगडा होने के बाद महिला अपने बच्चों को छोडकर कहीं चली गई।

- पति से झगडा होने के बाद मृतका अपने बच्चों को छोडकर कहीं चली गई थी

जब काफी देर तक महिला वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश की,लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार सुबह परिजनों ने एक बार फिर महिला की तलाश शुरू की। दिन भर तलाश के बाद देर शाम को ढोली बावडी कुएं में महिला का शव मिला। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रात को शव को अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया।

पुलिस ने बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी ने बताया कि हिराता फला माली निवासी प्रेमिका ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसमें बताया कि 5 सितंबर की रात के समय उसकी मां बसंती घर में खाना बना रही थी। इस दौरान उसके पिता दिनेश रोत गाली-गलौज करते हुए आए और मां से झगडा करने लगे। पिता के लडाई करने से मां नाराज होकर कहीं चली गई।

इस पर उसने अपने मामा को फोन किया। कुछ देर बाद उसके मामा हाजा उर्फ हीरालाल अपने मामा लोकेश खराडी के साथ आए और पिता दिनेश को समझाने लगे। काफी देर तक जब उसकी मां घर नहीं आई तो उन्होंने उसकी खोजबीन की, लेकिन देर रात तक पता नही सका। थानाधिकारी ने बताया मंगलवार को परिजनों ने महिला की फिर से तलाश शुरू की तो देर शाम को ढोली बावडी कुएं में उसका शव मिला।

'कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति छोड़े'

अजमेर, (कासं)। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां में झांकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, देश तो एक है, राहुल गांधी पहले कांग्रेस को जोड़ें। कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति छोड़े।

विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस द्वारा शुरु की जा रही भारत जोड़ो यात्रा को ढकोसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बरगलाना चाहती है लेकिन देश के लोग उसे नकार चुके हैं। देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस जिस तरह एक परिवार और तुष्टिकरण की नीतियों पर चलती है, पूरा देश उसे नकार चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो के बजाए कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता समय मिलते ही पार्टी छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें पता लग गया है कि कांग्रेस की नीतियां और सोच देश को गर्त में ले जा सकती है। यही कारण है कि आमजनता, कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 1947 में भारत का विभाजन किया था अगर कांग्रेस को भारत जोडो यात्रा निकालनी है तो पाकिस्तान में यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल देश को बरगलाने की कोशिशें छोड़कर अपना घर सुधारे, अपने गिरेबां में झांके।

करंट से ठेकाकर्मी लाइनमैन की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। धंबोला थाना क्षेत्र के झरनी गांव में पोल पर ट्रांसफार्मर चढे एक ठेकाकर्मी लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई।

घटना को लेकर परिजनों ने जीएसएस कार्मिकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। थानाधिकारी हजारीलाल ने बताया कि बृजमोहन डामोर निवासी केसरपुरा गडा वाटेश्वर ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा अल्पेश डामोर बिजली निगम की एक ठेका कंपनी में लाइनमैन का काम करता है।

मंगलवार को अल्पेश मजदूरों के साथ झरनी में डीपी बदलने गया था। वह पीठ जीएसएस से शट डाउन लेकर डीपी चढाकर लाइन को जोड रहे थे। उसी समय अचानक बिना किसी सूचना के ही जीएसएस से लाइन चालू कर दी। इससे अल्पेश को जोर से करंट लगा और नीचे गिर पडा।करंट लगने से गंभीर घायल अल्पेश को सीमलवाडा हॉस्पीटल लेकर पहुंचे। हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। जिस पर उसे डूंगरपुर हॉस्पीटल लेकर आए। जहां चिकित्सको ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ./22-23/एम.बी./1242 दिनांक: 31-8-2022

आपति सूचना

श्री दिनेश गोयल स्व. श्री श्यामलाल गोयल निवासी 16/371 कवंडसपुरा, मदार गेट अजमेर द्वारा एक सम्पति जिसका एएमसी नम्बर 15/405-706/16 जो वाके कवंडसपुरा मदारगेट अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 55.55 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार है।
पूर्व - रास्ता आम गली | पश्चिम - कवंडसपुरा की मुख्य सड़क
उत्तर - आम रास्ता | दक्षिण - अन्य की सम्पत्ति
अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

क्षेत्रीय कार्यालय, **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल**
एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)
राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-198/1695 दिनांक 07.09.2022

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एस.एस. स्टोन कोरपोरेशन प्लॉट संख्या 115 ग्राम मिनियानी द्वारा ग्रेनाईट, क्वार्टज एवं फैल्सपार खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स एस. एस. स्टोन कोरपोरेशन खसरा संख्या 397	115	4.7850	मिनियानी	ग्रेनाईट, क्वार्टज एवं फैल्सपार	173800
2	मैसर्स सन ग्रेनाईट एवं मिनरल्स	16/2012	4.48	मिनियानी	क्वार्टज एवं फैल्सपार	35100

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 9.265 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-208900 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम मिनियानी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स एस.एस. स्टोन कोरपोरेशन प्लॉट संख्या 115 ग्राम मिनियानी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :- (1) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (3)सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर। (5) तहसील-नसीराबाद, जिला-अजमेर। (6) राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ढाल, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कक्ष/सामान्य/2022/11342 दिनांक 07.09.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10/10/2022 को दोपहर 1:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ढाल, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस संबंध में लिखित आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।
(दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षैत्रीय अधिकारी

सस्नेह संस्मरण

श्रीमती रति चतुर्वेदी
(12.1.67 - 6.09.2022)
पुत्री स्व. श्री वाचस्पति शर्मा एवं विमला शर्मा

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है हमारी प्रिय रति चतुर्वेदी का 6 सितम्बर 2022 को स्वर्गवास हो गया है।

वे बेहद दयालु, संवेदनशील विनम्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं और खुशनुमा व स्नेह पूर्ण स्वभाव से सभी की प्रिय थीं। काल के क्रूर हाथों ने उन्हें असमय ही हम सबसे छीन लिया। उनके कोमल हृदय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिसमें सभी परिजनों के लिए भरपूर स्नेह था। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपकी यादों को संजोए रखेंगे।

विनय कृष्ण चतुर्वेदी, तुफैल (पति)
श्रीमंत चतुर्वेदी (पुत्र)

शोक संतप्त
राष्ट्रदूत परिवार

पानी में तैरी 51 किलो वजनी पत्थर की कुंडी

नागौर शहर के गिन्नाणी तालाब स्थित नृसिंह बगीची के कृत्रिम जलाशय में 51 किलो वजनी पत्थर की कुंडी तैरी।

नागौर, (निसं)। शहर के गिन्नाणी तालाब स्थित नृसिंह बगीची परिसर में बुधवार की शाम जलझूलनी एकादशी के अवसर पर 51 किलो वजनी पत्थर से बनी कुंडी पानी में तैराई गई। बुधवार को जलझूलनी एकादशी के मौके पर जैसे ही इस पत्थर की वजनी कुंडी को गिन्नाणी तालाब स्थित नृसिंह बगीची के बाहर बनाए गए अस्थाई जलाशय में उतारा गया तो समूचा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा।

ये पत्थर की बनी 51 किलो वजनी कुंडी वास्तव में यहां बने जलाशय में कागज की नाव की भाती तैरी। जैसे ही इस कुंडी को बगीची में बाहर बनाए गए अस्थाई जलाशय में उतारा गया तो समूचा क्षेत्र भगवान नृसिंह के जयकारों से गूंज उठा। यहां हर साल जलझूलनी एकादशी के मौके पर इस बरसों पुरानी 51 किलो वजनी पत्थर की कुंडी में भगवान नृसिंह देव को विराजित कर जलझूला कराया जाता है।

जलझूलनी एकादशी पर भगवान जलविहार करते हैं। इस बरसों पुरानी परम्परा को यहां बखूबी निभाया गया। इस अनूठे आयोजन को देखने शहरवासी गिन्नाणी तालाब स्थित नृसिंह बगीची में उमड पडे। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा, अरबन बैंक अध्यक्ष नरेन्द्र कच्छावा, पार्षद नवरतन बोथरा, पार्षद विशाल शर्मा, पार्षद यतिराज धनावत नृसिंह बगीची के देवकिशन सोनी सहित अमीचंद सुराणा, भाजपा नेता महेन्द्र पहाड़िया, किशन लोहिया, भारतीशचन्द्र जोशी, अमरचंद सेन, पन्नालाल भंवर, कमल किशोर सोनी, प्रवीण सोलंकी, कुलदीप सांखला, महावीर कंसारा, जुगल सारड़ा सहित श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लिया। सभी भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2022-23/6135 दिनांक:- 07-09-2022

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	1. आदित्य पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/45 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 2. कमलेश पत्नि कुन्दनलाल हिस्सा 1/3 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 3. कृष्णकांत पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/45 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 4. गणपतलाल पुत्र सुरेशचंद हिस्सा 1/9 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 5. गोरव पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/45 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 6. राजरानी पत्नि ज्ञानचंद हिस्सा 1/45 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 7. लालचन्द पुत्र सुरेशचन्द अग्रवाल हिस्सा 1/3 जाति अग्रवाल सा. सराफान मौह. ब्यावर खातेदार अ.वि. - (एच.यू.एफ.) बहेसियत मैनेजरकर्ता। 8. विनोद कुमार पुत्र सरेशचंद हिस्सा 1/9 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार। 9. सोरभ पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/45 जाति अग्रवाल सा. ब्यावर खातेदार।	गढीथोरियान	1205	0.0809
2	1. आदित्य पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल सा. सर्राफान मौहल्ला ब्यावर खातेदार। 2. कृष्णकांत पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल सा. सर्राफान मौहल्ला ब्यावर खातेदार। 3. गौरव पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल सा. सर्राफान मौहल्ला ब्यावर खातेदार। 4. राजरानी पत्नि ज्ञानचंद हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल सा. सर्राफान मौहल्ला ब्यावर खातेदार। 5. सौरभ पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा 1/5 जाति अग्रवाल सा. सर्राफान मौहल्ला ब्यावर खातेदार।		1203 1207 2056/1208	0.1497 0.2185 0.2185
3	1. सौरभ पुत्र ज्ञानचंद हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल सा. नि. साकेत नगर ब्यावर खातेदार।		1214	0.0607
4	1. केशव अग्रवाल पुत्र गणपत अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल नि. 2/26 साकेत नगर ब्यावर खातेदार।		1206 2059/1213	0.0283 0.1922

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है व तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक .... को जारी की गई।
प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद ब्यावर